तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
5.1.2024	वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई का पेश किया जिसपे पत्रावली तलब की गई। वकील अप्रार्थी द्वारा आज सुनवाई करने पर सहमति दी गई। लिहाजा पूर्व में दिनांक 14.12.23 को प्रस्तुत जवाब दावा रिकार्ड पर लिया जाता है। अप्रार्थी नं० 2 व 3 के पूर्व में रजि० डाक से नोटिस जारी की गई जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न पत्रावली है इसलिए इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये जाते है उभय पक्ष कारान अधिवक्ता बहस करने पर सहमत होने से प्रार्थना पत्र शुरू कर बहस सुनी गई बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खरीद शुदा है अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ धोखे व लाभ का फायदा उठाकर प्रार्थी की खरीद शुदा आराजीयात में से 0.05 हे० भूमि दान पत्र से अप्रार्थी नं० 1 ने अपने पक्ष में अपने नाम पर करली इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक आवश्यक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी [illegible] हस्तक्षेप ना करें ना करावे [illegible] यथावत [illegible] मौके की स्थिति [illegible] वकील अप्रार्थी अपनी बहस में बताया की प्रार्थी द्वारा उसकी स्वेच्छा से अप्रार्थी धाम्य के पक्ष में दान पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.01.10 10:20:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
से दिनांक 7/6/2021 को साक्षीगण की उपस्थिति के जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से नामान्तरण करवाई गई है दानपत्र के आधार पर जरिये ना०सं० 1107 से खातेदारी में दर्ज हुआ था इस कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है सुविधा का सन्तुलन और अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। क्योंकि प्रकरणगत आराजीयात खातेदारी में दर्ज हो चुकी है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया जाने से खारिज योग्य है। बहस उपरोक्त कारान की सुनी गई प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, जवाब, जमाबन्दी इत्यादि का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया जिससे यह साबित है कि प्रार्थी ने साक्षीगण की उपस्थिति में जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। ... रजिस्टर्ड दानपत्र के ... 16/6/2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा ... पेश कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया गई है। लगभग एक वर्ष बाद प्रार्थनापत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.01.10 10:20:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	पेश करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है प्रार्थना पत्र 212 RTA के अनुसार किसी खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जा सकती है। प्रार्थी तीनों ही मौलिक बिन्दुओं को साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है 212 प्रार्थना पत्र RTA खारिज किया जाता है निर्णय तदनुसार लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	
	उप खण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.01.10 10:20:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner